अपील सूचना अधिकार संख्या 64/2021 (GCMS 2021/96) (RTI No. 212797726411473) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर **बनाम** उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.03.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 16.06.2021 से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. बीएलओ श्री सुभाष गोयल भाग संख्या 80 धारा लोकसभा चुनाव 2014 में दिनांक 05.04.2014 से 12.04.2014 तक स्वयं हस्तलिखित कार्य निष्पादन रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि उसने उक्त कार्य श्रीगंगानगर में उपस्थित रहकर कार्य का निष्पादन किया है व दिनांक 06.04.2014 को संकल्प पत्रों को एकत्रित कर सेक्टर मजिस्ट्रेट को सौंपने का कार्य करने के तथ्य अंकित किये है इस बाबत सूचना व कार्य निष्पादन की प्रमाणित प्रति।
2. दिनांक 06.04.2014 को कार्य करने की स्वीकारोक्ति के उपरांत दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमति [illegible]नगर केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिस विषय के [illegible] के नियम के अन्तर्गत) बैंक प्रशासन द्वारा स्वीकृत की [illegible] है उस नियम की [illegible] व नियम की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:31:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. बैंक के जिस अधिकारी द्वारा स्वीकृति जिस पदीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जारी दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 तक अवधि की गयी है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

4. एक तरफ बैंक बीएलओ श्री सुभाष गोयल को लोकसभा चुनाव 2014 में चुनाव कार्यों हेतु दिनांक 04.04.2014 से 12.04.2014 तक की अवधि हेतु निर्वाचक विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंप रहा है व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, उप पंजीयक, श्रीगंगानगर व स्वयं बीएलओ श्री सुभाष गोयल दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक की अवधि में श्रीगंगानगर उपस्थित रहकर कार्य करना स्वीकार कर रहे है। इसके उपरान्त दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 की अवधि का मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति दिया जाना विरोधाभासी है इस संबंध में स्वीकृति देने वाले कर्मचारी व अधिकारी की स्वयं हस्तांतरित व हस्तलिखित नियम की निर्वाचन विभाग के नियमों के संदर्भ में सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

5. प्रार्थी के प्रार्थना फार्म चरण संख्या 2 में अंकित तथ्यों में कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर को दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति देने से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर को दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 को मुख्यालय छोडने की अनुमति देने से धोखा दिया है व निर्वाचक नियमों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

	अंगीकरण किया है इस बाबत स्वीकृति जारी करने वाले बैंक अधिकारी के विरूद्ध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के आरपी एक्ट 1951 की धारा 136 व आईपीसी की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति। 6. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर के पत्रांक 1216 दिनांक 04.08.2014 व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजीयक) श्रीगंगानगर के पत्रांक 41 दिनांक 05.08.2014 व बीएलओ श्री सुभाष गोयल की कार्य निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा चुनाव 2014 में कार्य निष्पादन की सूचना व प्रमाणित प्रति व दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमाति देने के आधार व विभागीय बैंक प्रशासन व निर्वाचक नियमों की सूचना व नियमों की प्रमाणित प्रति।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई / 2021 / 1691 दिनांक 07.07.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	बीएलओ श्री सुभाष गोयल भाग संख्या 80 धारा लोकसभा चुनाव 2014 में दिनांक 05.04.2014 से 12.04.2014 तक स्वयं हस्तलिखित कार्य निष्पादन रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि [illegible] उपस्थित रहकर कार्य का नि[illegible] है व दिनांक 06.04.2014 [illegible] एकत्रित कर [illegible] की कार्य करने के तथ्य अंकित किये है इस बाबत सूचना व कार्य निष्पादन की प्रमा[illegible] प्रति।	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(5) के प्रावधानान्तर्गत सूचना अत्यधिक पुरानी होने के कारण इसकी आपूर्ति से लोक प्राधिकारी के संसाधनों का अनपेक्षित ढंग से विचलन होता है, अतः सूचना दी जानी सम्भव नहीं है।
2	दिनांक 06.04.2014 को कार्य करने की स्वीकारोक्ति के उपरांत दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक,	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

			जिस विषय के अंतर्गत (निर्वाचक के नियम के अन्तर्गत) बैंक प्रशासन द्वारा स्वीकृत की गयी है उस नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।		
		3	बैंक के जिस अधिकारी द्वारा स्वीकृति जिस पदीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जारी दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 तक अवधि की गयी है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।		
		4	एक तरफ बैंक बीएलओ श्री सुभाष गोयल को लोकसभा चुनाव 2014 में चुनाव कार्यों हेतु दिनांक 04.04.2014 से 12.04.2014 तक की अवधि हेतु निर्वाचक विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंप रहा है व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, उप पंजीयक, श्रीगंगानगर व स्वयं बीएलओ श्री सुभाष गोयल दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक की अवधि में श्रीगंगानगर उपस्थित रहकर कार्य करना स्वीकार कर रहे है। इसके उपरान्त दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 की अवधि का मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति दिया जाना विरोधाभासी है इस संबंध में स्वीकृति देने वाले कर्मचारी व अधिकारी की स्वयं हस्तांतरित व हस्तलिखित नियम की निर्वाचन विभाग के नियमों के संदर्भ में सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।		
		5	प्रार्थी के प्रार्थना फार्म चरण संख्या 2 में अंकित तथ्यों में कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर को दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति देने से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर को दिनांक [illegible] से [illegible] को मुख्यालय छोड़ने की अनु[illegible] से धोखा दिया है [illegible] किया है [illegible] बैंक अधि[illegible] प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 [illegible] आरपी एक्ट 1951 की धारा 136 व आइपीसी की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।		
		6	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम),		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

	श्रीगंगानगर के पत्रांक 1216 दिनांक 04.08.2014 व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजीयक) श्रीगंगानगर के पत्रांक 41 दिनांक 05.08.2014 व बीएलओ श्री सुभाष गोयल की कार्य निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा चुनाव 2014 में कार्य निष्पादन की सूचना व प्रमाणित प्रति व दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमाति देने के आधार व विभागीय बैंक प्रशासन व निर्वाचक नियमों की सूचना व नियमों की प्रमाणित प्रति।	

-sd-
सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं **कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए**। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है**। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते**। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज **करने योग्य है।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:44 IST
Reason: SelfAttested